



# High Court Bar Association, Allahabad

## हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

**President**

**Amarendra Nath Singh** 9415235319

**Hony. Secretary**

**Prabha Shanker Mishra** 9794028875

**Vice President**

**Ahmad Azmi** 9415208116

**President**

**Kumar Mishra** 9793459898

**(Ind)**

**Pathak** 9415214644

**ni Kant Rai** 9415613510

**na Kant Mishra** 9918095423

**Mishra)**

**Pr Srivastava** 9839619432

**nt Secretary Administration**

**hishek Shukla** 9935200044

**nt Secretary Library**

**deep Kumar Pandey** 9695457999

**oint Secretary Press**

**ajendra Kumar Singh** 9455973300

**oint Secretary Women**

**ranju Kumari** 9453808573

**Treasurer**

**Durgesh Chandra Tiwar** 9721842815

**Members of Governing Council**

**Ramanuj Tiwari** 9336585734

**Pratibha Singh** 9451853291

**Alok Kumar Mishra** 9389112772

**Rameshwar Dutt Pandey** 9450589841

**(RD)**

**Ashutosh Kumar Tripathi** 9532435250

**Rohit Shukla** 8004940194

**Manoj Kumar Pandey** 9450613778

**Anjani Kumar Tripathi** 9454934980

**Chandrakant Tripathi** 9454057971

**Ganesh Mani Tripathi** 9305235011

**Armod Tripathi** 9452934380

**Haya Rijvi** 8565899219

**Indra Kumar Chaubey** 9454032657

**(IK)**

**Vinay Kumar Tiwari** 9415186079

**Birendra Kumar Mishra** 9453464022

Ref.: No. H.C.B.A./.....

Dated : .....10.09.2020

श्रीमान् माननीय मुख्य न्यायाधीश  
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

मान्यवर,

मा10 उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण न्यायालय को इस कोरोना की कठिन परिस्थिति में संचालित किए जाने के लिए आपके आभारी हैं किन्तु मा10 उच्च न्यायालय की विगत तीन माह की कार्यप्रणाली से यह परिलक्षित हो रहा है कि रजिस्ट्री का वांछित सहयोगात्मक आचरण नहीं है जिसके निम्न उदाहरण हैं:-

1. मा10 न्यायमूर्तिगण समय से नहीं बैठते हैं और न ही न्यायकक्षों के बाहर इस आशय की कोई सूचना ही प्रदर्शित होती है।
2. दाखिल किए गए मुकदमे एक से दो माह अथवा इससे अधिक समय बाद सूचीबद्ध होते हैं।
3. न्यायकक्षों के आस-पास तथा शौचालयों में काफी गन्दगी बिखरी रहती है।
4. न्यायकक्षों की साफ-सफाई भी उचित ढंग से नहीं हो रही है और न ही सैनिटाइजेशन हो रहा है।
5. पेयजल की सुविधा/व्यवस्था न्यायकक्षों के आस-पास कहीं पर भी नहीं है।
6. स्थानान्तरित मुकदमों की सूचना सूचीबद्ध होने वाली तिथि को 11 बजे दिन के आस-पास आती है जबकि यह सूचना पूर्व संध्या को ही आ जानी चाहिए जैसी व्यवस्था मा10 मुख्य न्यायमूर्ति श्री डी0वाई0 चन्द्रचूड के समय में उपलब्ध थी, परन्तु वर्तमान में नहीं है।
7. मुकदमों के सूचीबद्ध होने की सूचना (msg) अधिकांश अधिवक्ताओं को नहीं पहुँचते हैं।
8. विपक्षी की ओर से वकालतनामा योजित करने के बावजूद विपक्षी अधिवक्ता का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है।
9. लिरिटिंग प्रार्थना-पत्र में तिथि नियत होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है।
10. वैकल्पिक न्यायकक्ष जो खाली छोड़े गए हैं, को अधिवक्ताओं के बैठने के लिए नहीं खोले जा रहे हैं।

माननीय महोदय, कृपया हम अधिवक्तागण की उपरोक्त समस्याओं को गम्भीरता से दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे अधिवक्तागण अपना न्यायिक कार्य सुचारु रूप से सम्पादित कर सकें।

(अमरेंद्र नाथ सिंह)  
वरिष्ठ अधिवक्ता  
अध्यक्ष

(प्रभाशंकर मिश्र)  
अधिवक्ता  
महासचिव